राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भू विज्ञान
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhawan, उदयपुर/Udaipur – 313 001.
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: (0294) – 2410526

क्रमांकः निखाभू / सिरो / सीसी–8 / प–1(1)33 / 2008 / दिनांकः– –09–2009 23 SEP 2009

आदेश

चूँकि श्री जितेन्द्र अग्रवाल, निवासी– शिवगंज जिला सिरोही (राज0) द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 22(1) के अन्तर्गत खनिज फैल्सपार, क्वार्टज के लिए निकट ग्राम विरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में खनन पट्टा अनुदान हेतु दिनांक 23–07–2008 को कार्यालय खनि अभियन्ता, सिरोही में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

और चूँकि निदेशालय संतुष्ट है कि आवेदक राज्य में प्रवर्तमान सम्बद्ध नियमों के अनुसार उक्त क्षेत्र में खनन पट्टा अनुदान हेतु उपर्युक्त पक्ष(पार्टी) है तथा वह क्षेत्र जिसके लिए आवेदक द्वारा रियायत चाही गई है, अनुदान के लिए रिक्त है एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर–वृत, जोधपुर पुर के पत्र क्रमांकः SME/JO/CC/SOJAT/MAJOR/ML/33/08/4930 दिनांक 27–08–2009 के द्वारा नियमानुसार माईनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान का अनुमोदन हो चुका है।

अतः खनिज रियायत नियम–1960 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम,1957 तथा उसमें समय समय पर हुए संशोधनो, उल्लेखित निबंधो और प्रतिबन्धो पर आवेदक के पक्ष में निम्नांकित खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है:–

1.	खनिज	फैल्सपार, क्वार्टज
2.	क्षेत्रफल एवं क्षेत्र का विवरण	4.163 हैक्टेयर निकट ग्राम विरोली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही में विवरण पत्र के अनुसार वास्तविक क्षेत्रफल मौके पर सीमांकन के समय उपलब्ध भूमि के अनुसार निर्धारित होगा।
3.	खनन पट्टा अवधि	संविदा पंजीयन की तिथि से 30 वर्ष तक।
4.	स्थिर भाटक	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) एक्ट, 1957 की तृतीय अनुसूची के अनुसार एवं समय समय पर उसमें संशोधनानुसार।
5.	प्रतिभूति राशि	रू. 10,000 / –(अक्षरे दस हजार रूपये मात्र)
6.	अधिशुल्क	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की द्वितीय अनुसूची के अनुसार एवं समय समय पर उसमें संशोधनानुसार।
7.	भूतल भाटक	जैसा कि राजस्व अधिकारी निर्धारित करें।
8.	अन्य कर	राजकीय नियमानुसार।
9.	अन्य शर्ते	1–पट्टाधारी संविदा निष्पादन से पूर्व एम0सी0डी0आर0 1988 के नियम 23(एफ) के तहत वित्तीय आश्वासन के रूप में रूपया 15,000 / – प्रति हैक्टेयर अथवा रूपया एक लाख जो भी अधिक हो, उसके बराबर नियमों में दिये गये प्रावधान के अनुसार जमा करायेगा।

नोटः–

1. यदि अनुदानी इस आदेश की तारीख से छः माह के भीतर समुचित इकरारनामा निष्पादित नहीं करायेगा तो यह आदेश बिना सूचना के ही प्रतिसंहृत (रिवोक) कर दिया जायेगा।
2. जब तक अनुदानी समुचित इकरारनामा निष्पादित कर संविदा का पंजीयन करा प्रस्तुत नहीं कर दे, तब तक क्षेत्र में खनन कार्य आरम्भ नहीं करेगा।

3. Reconnaissance Permit एवम पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के तहत क्षेत्र बेस मेटल के हवाई सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्य हेतु स्वीकृत Reconnaissance Permit एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र धारक को पूर्वेक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।

4. Reconnaissance Permit एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र के तहत क्षेत्र में कोई बेस मेटल पाया जाता है एवं बेस मेटल का कोई खनन पट्टा स्वीकृत होता है,तो आपके पक्ष में स्वीकृत खान को अनुदान हेतु छोड़ना होगा।

18/9/09.

निदेशक,
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
राजस्थान,उदयपुर

क्रमांक:निखाभू/सिरो/सीसी–8/प–1(1)33/2008/633 दिनांक: 23 SEP 2009 –09–09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. खनि अभियन्ता, सिरोही को उनके पत्र क्रमांक 1058 दिनांक 19–12–08 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ कि:–
   (क) संविदा निष्पादन हेतु समस्त औपचारिकताए स्वीकृति आदेश प्राप्ति की तिथि से 45 दिन के भीतर पूर्ण करावे एवं संविदा निष्पादन आदेश जारी होने की तिथि से छः माह में किया जावे।
   (ख) सीमांकन रिपोर्ट में इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता द्वारा दिया जायेगा कि सीमांकित क्षेत्र वन भूमि में नहीं आता है एवं वन भूमि से 25 मीटर से अधिक दूरी पर है।
   (ग) आवेदक से आदेश के नोट में अंकित क्रम संख्या 3 व 4 के अनुसार अण्डर टेकिंग प्राप्त कर संविदा निष्पादन करें।

रजि.ए.डी.2. श्री जितेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, निवासी– तहसील रोड–छावणी, शिवगंज जिला सिरोही (राज0) को भेज कर लेख है कि संविदा निष्पादन की पूर्ण औपचारिकताऐं आदेश प्राप्ति के 45 दिन के भीतर पूर्ण करावे एवं आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह में संविदा निष्पादन आवश्यक रूप से करावे, अन्यथा बिना सूचना के स्वीकृति आदेश विलोपित कर दिया जावेगा।

3. महा नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, प्रथम मंजिल, डी0 ब्लॉक सिविल लाईन, इन्दिरा भवन, नागपुर।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, अजमेर।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) जोधपुर जोन, जोधपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, जोधपुर–वृत, जोधपुर।
7. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर, सिरोही।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. अधीक्षक भूवैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग, के0का0,उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण खनि अभियन्ता(मु0ा)